न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 03/2015

उनवान

1. कैलाश चन्द सेरावत दत्तक पुत्र स्व0 श्री गंगाराम सेरावत, जाति जाट निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—अपीलार्थी—

बनाम

1. संतोष पुत्री स्व0 हनुमान
2. भगवती पुत्री स्व0 हनुमान
   जाति जाट, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत जरिये सचिव, ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौम, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स—

अपील अधीन धारा 75 एल आर एक्ट, निर्णय न्यायालय ग्राम पंचायत हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, आदेश दिनांक 11.06.2003 बाबत् नामान्तकरण संख्या 268 ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

निर्णय दिनांक10.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं जिला जयपुर में निवासीत है जिसका सजरा खानदान निम्न है:—

गंगाराम (फौत)

जीवनी देवी पत्नि (फौत) | कैलाशचन्द दत्तक पुत्र

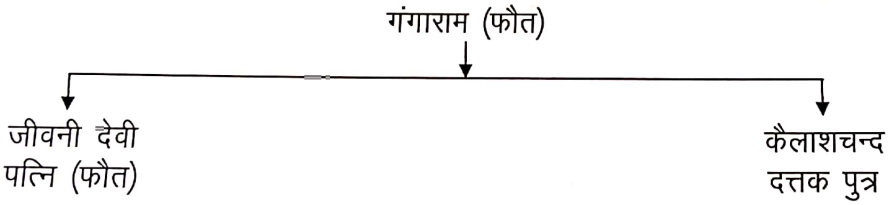

रूकमा देवी पत्नि स्व0 हनुमान अपीलान्ट के दत्तक पिता स्व0 गंगाराम के भाई स्व0 हनुमान की पत्नि है जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के दत्तक पिता गंगाराम के भाई स्व0 हनुमान की पुत्रियां है। अपीलान्ट के दत्तक पिता स्व0 गंगाराम की मृत्यु पर उसकी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि का अपीलान्ट ही एकमात्र विधिक वारिस होने से [illegible] अपीलान्ट के दत्तक पिता स्व० गंगाराम की दिनांक 16.12.2000 के स्वर्गवास पर उसकी पगड़ी का दस्तुर अपीलान्ट के बतौर दत्तक की हैसियत पंचों, जाति, समाज, बिरादरी के सक्षम किया गया। अपीलान्ट अपने दत्तक पिता स्व० गंगाराम व दत्तक माता जीवनी देवी के जीवनकाल में ही उनके साथ रहकर सेवा करता था तथा अपनी दत्तक माता स्व0 जीवनी देवी व दत्तक पिता स्व0

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गंगाराम की मृत्यु पर सम्पूर्ण क्रियाक्रम किये थे और अपने पुत्र कर्तव्य का निर्वहन किया था। अपीलान्ट की दत्तक माता का स्वर्गवास दिनांक 15.12.1999 को हो गया था।

अपीलान्ट के दत्तक पिता स्व० गंगाराम का स्वर्गवास दिनांक 16.12.2000 को हो गया था जिसकी बतौर हैसियत दत्तक पुत्र दिनांक 27.12.2000 को अपीलान्ट के तहत पिता स्व० गंगाराम के क्रियाक्रम (शीशी पूजन) के दिन पगड़ी बांधी गई और पगडी की रस्म पर गांव व समाज के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 व उनकी माता रूकमा देवी की उपस्थिति में पंचनामा 20/– रूपये के स्टाम्प पर तैयार कर उस पंचनामें पर उपस्थित समाज के मौजिज व रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाये गये।

अपीलान्ट ने अपने स्व० दत्तक पिता गंगाराम के नाम दर्ज भूमि पर अपने नाम नामान्तकरण इन्द्राज हेतु माननीय रेस्पोडेन्ट संख्या 5 तहसीलदार, चौमूं के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने कोई अमल नहीं किया और अपने पत्र दिनांक 29.11.2014 में यह नोट अंकित कर दिया कि स्व० गंगाराम के कोई राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं है इस पर अपीलान्ट ने गहनता से तलाश कर भू–अभिलेख, जयपुर से जानकारी होने पर सर्वप्रथम नामान्तकरण संख्या 268 ग्राम हाडौता की नकल हेतु दिनांक 29.04.2015 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 09.05.2015 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई तथा सर्वप्रथम अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 व स्व० रूकमा देवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 से मिलकर अपीलान्ट के दत्तक पिता स्व0 गंगाराम की कृषि भूमि का बिना विधिक अधिकार के अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया तथा साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की एक अन्य बहिन सुजी देवी जिसका दिनांक 07.06.1997 को स्वर्गवास हो चुका बावजूद जानकारी के उस मृत महिला के नाम भी अविधिक नामान्तकरण जिसके हकदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 व सुजी देवी नहीं थी, के खुलवा लिया।

विवादित नामान्तकरण की जानकारी का नकल आवेदन दिनांक 29.04.2015 को कर नकल नामान्तकरण संख्या 268 दिनांक 11.06.2003 की नकल दिनांक 09.05.2015 को प्राप्त होने पर इसके विरूद्ध यह प्रथम अपील निम्न आधारों पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश है:–

1. अपीलाधीन आदेश तत्कालीन ग्राम पंचायत हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खिलाफ कायदा कानून व मौका स्थिति की बिना जांच किये व बिना विधिक वारिस की जांच किये पारित होने से खारिज किये जाने योग्य है।
2. अपीलाधीन आदेश न्यायालय ग्राम पंचायत हाडौता द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस व सूचना के प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. अपीलान्ट जो कि मृतक स्व0 गंगाराम का दत्तक पुत्र और एक मात्र विधिक वारिस होने से उसके नाम नामान्तकरण नहीं खोलकर गैर कानूनी रूप से रुकमा देवी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 व रुकमा देवी की एक मृतक पुत्री रुजी देवी जो कि स्व० गंगाराम के वारिस नहीं है, के नाम नामान्तकरण खोलकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हाडौता ने अहम कानूनी गलती है जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 268 आदेश की जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है।

अतः अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आदेश दिनांक 11.06.2003 बाबत् नामान्तकरण संख्या 268 ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर को खारिज किया जाकर मृतक स्व0 गंगाराम के एकमात्र वारिस दत्तक पुत्र अपीलान्ट के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 बावजुद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र को ही बहस मानने का निवेदन किया।

न्यायालय के अभिमत में हस्तगत अपील में निर्णय पारित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:–

1. क्या यह अपील मियाद के अंतर्गत है?
2. क्या अपीलान्ट कैलाश चन्द सेरावत, स्व0 गंगाराम के हक पूवर्क अधिकारी है?
3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के बिना वारिस के फौत होने पर संपत्ति किस आधार पर न्यायगत होगी व उसका इस अपील पर क्या प्रभाव पडेगा?

बिंदु संख्या एक पर विचारण के पश्चात हम पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 268 दिनांक 11.06.2003 के लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा 29.04.2015 को नकल के लिए आवेदन किया गया और 09.05.2015 को नकल प्राप्त होने पर उसे [illegible] के नामान्तकरण में उसका नाम नही है। जिस पर अपीलान्ट ने 08.06.2015 को अपील प्रस्तुत करी। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 पर विचार करने के पश्चात यह उचित प्रतीत होता है कि डिले कंडोन किए जाने या अस्वीकार करने से पूर्व न्यायालय को मेरिट के आधार पर यह भी विचार करना चाहिए कि डिले कंडोन को अस्वीकार करने का परिणाम यह भी हो सकता हैं कि कोई मेरिटोरियस मामला न्यायालय की दहलीज से ही बाहर हो जाए जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

विलम्ब माफी स्वीकार करने पर अधिक से अधिक यह होगा कि यह मामला दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा। आरआरडी 1998 अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम पूनमचंद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोहर बनाम शिवरान वर्ष 2012 में अभिनिर्धारित किया है कि:–

" A liberal approach is an adopted on principle as it is realised that there is no presumption that delay is occasioned deliberately or on account of culpable negligence or on account of malafides. Litigant does not stand to benefit by restoring to delay infact he runs a serious risk. It must be grasped that judiciary is respected not on account of its power to legalise injustice on technical grounds but because it is capable of removing injustice and is epected to do so.

The expression 'sufficient cause' should therefore, be considered with pragmatism in justice oriented process approach rather than the technical detention of sufficient cause for explaining everyday days' delay.

Refusing to condone delay can result in meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a case would be decided on the merits after hearing the parties."

अपीलांट का प्रार्थना पत्र दफा 5 का उपयोग लायक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

बिन्दु संख्या दो पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट अपने दत्तक पिता स्व0 गंगाराम व दत्तक माता जीवनी देवी के जीवनकाल मे ही उनके साथ रहकर सेवा करता था तथा अपनी दत्तक माता स्व0 जीवनी देवी व दत्तक पिता स्व0 गंगाराम की मृत्यु पर सम्पूर्ण क्रियाक्रम किए थे और अपने पुत्र कर्त्तव्य का निर्वहन किया था। अपीलान्ट की दत्तक माता का देहान्त दिनांक 15.12.1999 को हो गया था व दत्तक पिता का देहान्त 16.12.2000 को हो गया था व बतौर दत्तक पुत्र दिनांक 27.12.2000 को अपीलान्ट के तहत पिता स्व0 गंगाराम के क्रियाक्रम के दिन पगड़ी बांधी गई और पगड़ी की रस्म पर मौजूद व्यक्तियों के समक्ष व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व उनकी माता रूकमा देवी की उपस्थिति मे पंचनामा 20/– के स्टाम्प पर करवाए गए।

हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 हिन्दुओं में दत्तक पुत्र/पुत्री को परिभाषित करता है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई हिन्दू के द्वारा या निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा और उक्त उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि :–

Scanned with CamScanner

(1) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो;

(2) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो;

(3) दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य न हो

(4) दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो

हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 के अनुसार हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य :– किसी भी हिन्दू पुरुष को जो स्वथ्य चित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले: परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है तब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा।

हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार दत्तक के परिणाम :– दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों।

" In Bakshish Singh vs Kewal singh 1979 hlr 431 it was held that absence of parents at time of adoption ceremony and not proveing the giving and taking the child in adoption adoption was held invalid."

अतः यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को दत्तक लिए जाने के समय उसके दत्तक पिता व दत्तक माता मे से किसी एक का जीवीत होना जरूरी है। उनकी मृत्यु के नतीजतन बिना किसी वसीयत के स्आम्प पर लिखी गई गोदनामें को मान्य हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के तहत नही माना जा सकता। अतः अपीलांट के हक पूर्वक गंगाराम का उत्तराधिकारी साबित नही होता है।

बिन्दु संख्या तीन पर विचरण के पश्चात हम पाते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष की सम्पत्ति निम्नलिखित को न्यायगत होगी :–

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं;

(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस न हों तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी हैं,

(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को;

(घ) अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को।

अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नामानतकरण संख्या 268 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण पर पटवारी द्वारा सजरा खानदान बनाया गया है। सजरा खानदान के अवलोकन से जाहिर होता है कि गंगाराम से पूर्व [illegible] औलाद फौत हो गई व स्वयं गंगाराम के फौत होने पर उसके भाई हनुमा[illegible] की पत्नी व पुत्रीयों के नाम से नामान्तकरण खोला गया। धारा 8 (ख) में स्पष्ट है कि [illegible] वर्ग 1 वारिस न होने पर वर्ग 2 के वारिसों को सम्पत्ति न्या[illegible] होगी। [illegible] के अनुसार संपत्ति सही रूप से न्यायगत होना प्रतीत होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपीलान्ट विधिक रूप से गंगाराम वल्द मोढा का वारिस साबित नही होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

व नामान्तकरण संख्या 268 विधिक रूप से सही साबित होता है। अतः अपील खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 16:44:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner